ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, NO.1, Jan.- March,2024 /8

'अन्तर्जातीय विवाह के बढ़ते प्रचलन का प्रभाव एवं चुनौतियाँ''

आरती वर्मा, शोध छात्रा–समाजशास्त्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
डॉ0 अखिलेश कुमार त्रिपाठी, शोध निर्देशक– विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
टी0एन0पी0जी0 कालेज टाण्डा अम्बेडकरनगर

https://doi.org/10.61410/had.v19i1.165

शोध–सारांश

विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज में स्थापित है, समय परिवर्तन के साथ समाज में परिवर्तन की दशा गतिशील रहती है। हिन्दू धर्म के साथ–साथ दुनिया के सभी धर्मो में विवाह एक अनिवार्य संस्था रही है। जीवन के विकास में विवाह की अनिवार्यता रही है, अन्तर्जातीय विवाह प्राचीन काल से चली आ रही है। यह विवाह जातीय बन्धनों से मुक्त स्त्री और पुरूष परिवार निर्माण हेतु एक सूत्र में बँधते है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण एवं जाति व्यवस्था मजबूत होने के कारण अन्तर्जातीय विवाह को पूर्ण मान्यता नहीं प्राप्त है। समाज में नाकारात्मक प्राभावों ने भी अन्तर्जातीय विवाह को विकसित होने का मौका नहीं दिया। कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर 'धर्मान्तरण' लवजेहाद' ने भी समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति चुनौती रही है।

शब्द संकेत :– धर्मान्तरण, आवरण, प्रवृतियाँ, अन्तर्जातीय विवाह, धार्मिक एकीकरण, रूढ़िवादिता, गतिशीलता, सामाजिक विडम्बना, लव–जेहाद

शोध–पत्र

मानव जीवन को संतुलित बनाने के साथ पारिवारिक निरन्तरता स्थापित करने में विवाह संस्था की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मानव की आधार भूत शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनुष्य ने भौतिक जगत मे अनेकानेक अविष्कारों को जन्म दिया है। यौन सम्बन्धों को समाज में नैतिकता का आवरण व्यक्ति के जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सरल, संतुलित एवं स्थिर बनाने में सहायक होती है। व्यक्ति के जीवन में निरन्तरता के साथ–साथ समाज अपने स्वत्व की रक्षा हेतु विवाह संस्था को मान्यता प्रदान करता है।[1] विवाह का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक संस्था से है जो स्त्री और पुरूष को कुछ विशेष नियम और विधि के अन्तर्गत यौन–सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करती है।[2]

धर्मशास्त्रों में विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है, जिसमें धर्म का मुख्य स्थान प्राप्त है, सामाजिक सुख के प्रयोजन हेतु नहीं बल्कि सन्तानोंत्पत्ति धर्मगत अधिक रहा है। मनुस्मृति से स्पष्ट है कि विवाह गृहस्थ जीवन का मूल आधार रहा है और सभी आश्रम गृहस्थ जीवन पर ही निर्भर होता है।[3] वेस्टरमार्क ने हिन्दू विवाह के सन्दर्भ में लिखा है कि ''विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के सथ जुड़ने वाला वह सम्बन्ध है जो ऐसी प्रथा अथवा कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है। जिसमें दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाली सन्तानों के अधिकार और कर्तव्य समाविष्ट होते हैं।''[4]

प्राचीनकाल से ही हिन्दू समाज में अन्तर्वर्णीय एवं अन्तर्जातीय विवाह की परम्परा बनी रही है। भारतीय समाज में ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलन रहा है, वैदिक युग में वर्ण एवं जाति का कठोर बन्धन नहीं था। इसलिए समाज में अन्तर्वर्णीय एवं अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध भी वैदिक युग से ही समाज में दिखाई पड़ता है। प्रो0 जी0एस0 घुरिये ने अन्तर्जातीय विवाह के प्रतिबन्ध के तीन कारण स्पष्ट किये है। 1– रक्त की पवित्रता को बनाये रखने की इच्छा, 2– वैदिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास एवं 3– ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थिर रखने की इच्छा इत्यादि।[5]

आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यवस्थित ढाँचे के अभाव तथा सामाजिक मान्यता की नकारात्मक के पश्चात् भी अन्तर्जातीय विवाह अपनी स्वरूप को गतिशील रख सका है। इसके पीछे कहीं न कहीं शिक्षा की अनिवार्यता तथा संचार–साधनों, यातायात के उच्च स्तरीय साधनों में वृद्धि ने भी अन्तर्जातीय विवाह के प्रसार में महतवपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया गया है। आधुनिक परिवेश में अब हिन्दू विवाह अब अपरिवर्तनीय नहीं रहा है। परिवर्तन की झलक अब नगरों के अतिरिक्त ग्रामीण परिवेश में भी दिखाई पड़ रहा है। विवाह संस्था संक्रमण के दौर में है। लिव–इन–रिलेशनशिप में जातिगत, धर्मगत बाध्यताऐं समाप्त हो चुकी हैं। संवैधानिक संस्थाओं ने भी इस प्रस्थिति को स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण समाज में लोग अभी भी

रूढ़ियों में उलझे है लेकिन समाज अग्रसर है। समाज में अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाहों पर समाज में आक्रोश अवश्य दिखाई पड़ता है। इस सामाजिक विडम्बना को उजागर करने वाली फिल्में, कहाँनिया भी प्रचलित है जिसमें ऐसे विवाह के विरूद्ध परिवार के साथ–साथ समाज भी हो जाता है। जातिगत हिंसा का भी सामाना करना पड़ता है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में चेन्नई से करीब 300 किमी0 दूर धर्मपुरी जिले के एक गाँव में 100वीं अन्तर्जातीय विवाह पर जश्न मनाया गया। इस गाँव की कुल जनसंख्या लगभग 3000 है जो अन्तर्जातीय, अन्तर्धार्मिक विवाहित जोड़ों के लिए घर जैसा है। माता–पिता या समाज के दबाव मे अपने मूल स्थान को छोड़को भागने के लिए विवश होते है, यहां के लोग उन्हें रहने की जगह के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से ताकत प्रदान करते हैं। वहीं अन्य स्थानों पर अन्तर्जातीय विवाह के लेकर दंगे हुए और सैकड़ों घर जला दिये गये।

समाज में आज भी उच्च जाति और निम्न जाति का भेद समाप्त नहीं हुआ है जबकि उसमें ज्यादा कमी आयी है। अनेक राज्यों ने 'लव–जेहाद' के नाम पर कानून भी पारित कर दिया है जो प्रेम विवाह के साथ होने वाले धार्मिक एकीकरण को रोकने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह निजी स्वतंत्रता का अधिकार तथा एक–पुरूष एवं महिला का एक दूसरे के प्रति स्नेह सम्बन्धी प्राकृतिक गुणों का हनन होता है।[(6)] आधुनिकीकरण के प्रभाव, संचार–साधनों की गतिशीलता एवं भारतीय सिनेमा ने नगरीय परिवेश के साथ–साथ ग्रामीण सामाजिक संरचना को भी अवश्य ही प्रभावित किया है। एक ओर समाज की रूढ़िवादी सोंच ने जहाँ धर्मगत जातिगत मान्यताओं को स्थापित रखा है, वहीं जाति एवं धर्म से परे अन्तर्जातीय विवाह के प्रति आकर्षण भी समाज में दिखाई पड़ता है।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन जनपद अयोध्या के सदर तहसील अन्तर्गत पूरा ब्लाक के तीन गांवों का 100–100 उत्तरदाताओं कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन पद्धति से किया गया है। इस अध्ययन को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के साथ ही प्रत्येक गाँव से 10–10 केस स्टडी भी किया गया है।, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

अध्ययन की परिकल्पना –

प्रस्तुत शोध अध्ययन की सफलता हेतु कुछ शोध उपकल्पनाओं को निर्माण किया गया है।

1. क्या वर्तमान आधुनिक परिवेश में विवाह सम्बन्धी निर्णय में परिवार के मुखिया की भूमिका परिवर्तित हुई है ?
2. क्या महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा समानता में जातिगत अन्तर को कम किया है ?
3. क्या वर्तमान आधुनिक परिवेश के पश्चात् भी रूढिवादिता के कारण अन्तर्जातीय विवाह चुनौती से कम नहीं है ?
4. क्या अन्तर्जातीय विवाह के पश्चात् युवक–युवतियों को नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ?
5. क्या अन्तर्जातीय विवाह में तलाक की दर अधिक है ?
6. क्या ग्रामीण समाज अन्तर्जातीय विवाह के प्रति कम जागरूक है ?
7. क्या वर्तमान आधुनिक परिवेश में दहेज प्रथा के प्रचलन के कारण अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिल रहा है ?
8. क्या उच्च आर्थिक प्रस्थिति अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है ?

उपर्युक्त सन्दर्भो के साथ भारतीय ग्रामीण परिवेश में अन्तर्जातीय विवाह के बढ़ते प्रचलन का प्रभाव समाज पर किस प्रकार पड़ रहा है, अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वर्तमान आधुनिक ग्रामीण परिवेश में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति सामाजिक मान्यता बढ़ रही है ?

सारणी सं0–01

क्रम सं0	अन्तर्जातीय विवाह के प्रति विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1–	हाँ	140	46.67
2–	नहीं	120	40.00
3–	कह नहीं सकते	40	13.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी सं0–01 के अध्ययन में सम्मिलित जनपद अयोध्या सदर तहसील के पूरा ब्लाक के सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं से जानने का प्रयो किया गया है कि वर्तमान आधुनिक ग्रामीण परिवेश में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति सामाजिक मान्यता बढ़ने के दृष्टिकोण का वितरण किया गया है। इस सारणी के अध्ययन में कुल 140 (46.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रश्न के पक्ष में यह स्वीकार किया है कि हाँ आधुनिक ग्रामीण परिवेश में भी अन्तर्जातीय विवाह के प्रति सामाजिक मान्यता बढ़ रही है। जबकि 120 (40.00 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते हैं एवं 40 (13.33 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रश्न के सदंर्भ में कुछ भी नहीं कह सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट विदित होता है कि अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन समाज में अवश्य बढ़ा है किन्तु पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यता अभी भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है।

सारणी सं0–02

क्या आप सहमत है कि समाज में शैक्षिक समानता ने अन्तर्जातीय विवाह के प्रति प्रचलन में वृद्धि की है ?

क्रम सं0	शैक्षिक समानता के प्रति दृष्ट्रिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
1–	सहमत	140	46.67
2–	असहमत	120	40.00
3–	कह नहीं सकते	40	13.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी सं0–02 के अध्ययन में सम्मिलित जनपद अयोध्या सदर तहसील के पूरा ब्लाक के सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या आप सहमत है कि समाज में शैक्षिक समानता ने अन्तर्जातीय विवाह के प्रति प्रचलन में वृद्धि की है ?'' इस सारणी के अध्ययन में कुल 210 (70.00 प्रतिशत) उत्तरदाता इस से अवश्व सहमत है कि समाज में शैक्षिक समानता ने अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन में वृद्धि की है, जबकि कुल 60 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाता इस बात से असहमत दिखाई पड़े, एवं मात्र 30 (10.00 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिवेश में समाज में बढ़ते शैक्षिक वातावरण ने कहीं न कही अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन को बढ़ावा दिया है।

सारणी सं0–03

क्या आप मानते है कि अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन से समाज में जातीय संस्तरण विभाजित होगा ?

क्रम सं0	जतीय संस्तरण के प्रति दृष्ट्रिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
1–	हाँ	140	46.67
2–	नहीं	120	40.00
3–	कह नहीं सकते	40	13.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी सं0–03 के अध्ययन में सम्मिलित जनपद अयोध्या सदर तहसील के पूरा ब्लाक के सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या आप मानते है कि अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन से समाज में जातीय संस्तरण विभाजित होगा ? के क्रम में इस सारणी के अध्ययन में सम्मिलित कुल 190 (63.33 प्रतिशत) उत्तरदाता स्वीकार करते है कि हाँ अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन से समाज में अवश्य ही जातीय संस्तरण विभाजित होगा। जबकि कुल 90 (30.00 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है एवं 20 (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रश्न के सन्दर्भ में कुछ भी नहीं कह सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन से कहीं न कहीं जातीय संस्तरण अवश्य विभाजित होगा।

संदर्भ–सूची

1. दीक्षित, प्रकाश चन्द्र ; भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, पृ0–160
2. मिश्र, जयशंकर ; प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, पृ0–287
3. मनुस्मृति ; द हिस्ट्री आफ ह्यूमन मैरेज, मैकमिलन लन्दन, पृ0–26
4. धुर्ये, जी0एस0 ; कास्ट, क्लास एण्ड आकूपेशन, पृ0–174–145
5. श्री निवासन, एस0, जात–पात की टूटती बेड़ियाँ दैनिक हिन्दुस्तान लखनऊ 15 फरवरी 2022, पृ0–08
6. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। March-April 2023, ISSN-23477075M IJJAR, अरविन्द कुमार।
7. ग्रामीण महिलाओं की प्रास्थिति पर संचार माध्यमों का प्रभाव : रीवा जिले के संदर्भ में, Jan-2023, ISSN (Online) – 2581-9429, Vol-3, Issue-1, IJARSCT, डॉ0 मोहम्मद परवेज।
8. Saharanpur.nic.in
9. Census2011.co.in